AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

बस्तर में लोकतंत्र की जमीनी हकीकतः पंचायती राज और स्थानीय शासन की भूमिका

ORIGINAL ARTICLE

Author
डॉ. सियालाल नाग
सहायक प्राध्यापक
राजनीति विज्ञान अध्ययनशाला
शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय
बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़, भारत

शोध सार

यह शोध पत्र बस्तर क्षेत्र में लोकतंत्र की जमीनी हकीकत का विश्लेषण करता है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय शासन की भूमिका का अध्ययन किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विशेष प्रावधानों, ग्राम सभा की शक्ति, और आदिवासी समाज की भागीदारी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से रखा गया है। इस शोध में यह दर्शाने का प्रयास किया गया है, कि बस्तर में लोकतांत्रिक संस्थाएं किस हद तक प्रभावशाली हैं, और वे किस प्रकार स्थानीय विकास एवं जनसरोकारों को प्रभावित करती हैं।

मुख्य शब्द

पंचायती राज की संरचना और क्रियान्वयन, बस्तर की सामाजिक–राजनीतिक संरचना पर प्रभाव.

परिचय

बस्तर छत्तीसगढ़ का एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जो ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विशिष्ट स्थान रखता है। लोकतंत्र की सफलता का मूल्यांकन केवल चुनावी प्रक्रिया से नहीं, बल्कि शासन में आमजन की भागीदारी से होता है। पंचायती राज प्रणाली, विशेष रूप से 73वें संविधान संशोधन के बाद, स्थानीय शासन की रीढ़ बन चुकी है। बस्तर में यह प्रणाली किस प्रकार लागू हो रही है, और इसमें आम जनता विशेषकर आदिवासी समाज की भागीदारी कितनी है, यह इस शोध का मुख्य उद्देश्य है।

शोध की उद्देश्य

1. बस्तर में पंचायती राज व्यवस्था के संचालन का अध्ययन।
2. स्थानीय शासन की कार्यप्रणाली एवं उसमें पारदर्शिता की स्थिति का विश्लेषण।
3. ग्राम सभा की भूमिका और उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन।
4. आदिवासी समाज की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी की स्थिति का अध्ययन।
5. लोकतांत्रिक ढांचे में चुनौतियाँ और संभावनाओं की पहचान।

शोध विधि

प्रकार

गुणात्मक (Qualitative Research)

डाटा संग्रह

प्राथमिक स्रोतः क्षेत्रीय साक्षात्कार, ग्राम सभाओं में सहभागिता।

द्वितीयक स्रोतः सरकारी रिपोर्टें, पंचायती राज संबंधित दस्तावेज, PESA अधिनियम, अनुसंधान पत्र, समाचार।

क्षेत्रः बस्तर संभाग के चुनिंदा पंचायत क्षेत्र।

मुख्य विषयवस्तु

1. बस्तर की सामाजिक–राजनीतिक पृष्ठभूमि

बस्तर अंचल छत्तीसगढ़ राज्य का एक विशिष्ट ''जनजातीय बहुल क्षेत्र'' है, जिसकी सामाजिक–सांस्कृतिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि अत्यंत समृद्ध एवं विशिष्ट रही है। यहाँ की पहचान प्राचीन परंपराओं, प्रकृति–आधारित जीवनशैली, सामुदायिक सहयोग और लोक संस्कृति से जुड़ी हुई है।

सामाजिक पृष्ठभूमि

जनजातीय बहुलताः बस्तर में गोंड, मुरिया, माड़िया, हल्बा, भतरा, परधान, धुरवा आदि प्रमुख जनजातियाँ निवास करती हैं।

सामुदायिक जीवनः यहाँ की सामाजिक संरचना सामुदायिक सहयोग और 'गोटुल व्यवस्था' पर आधारित रही है। गोटुल युवा शिक्षा, सामूहिक निर्णय और सांस्कृतिक संरक्षण का केंद्र है।

सांस्कृतिक विविधताः नृत्य, संगीत, लोकगीत, तीज–त्यौहार और दशहरा जैसे महोत्सव बस्तर की सामाजिक एकजुटता और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं।

प्रकृति–आधारित जीवन जंगल, नदी, पहाड़ और प्राकृतिक संसाधनों पर यहाँ की आजीविका निर्भर है इसलिए इनका सामाजिक जीवन प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ है।

राजनीतिक पृष्ठभूमि

ऐतिहासिक शासन व्यवस्थाः बस्तर क्षेत्र पर प्राचीन काल में गोंड वंश, फिर कलचुरी और बाद में बस्तर रियासत का शासन रहा। रानी दुर्गावती और रानी अवंती बाई जैसी नायिकाओं ने यहाँ की राजनीति में योगदान दिया।

रियासत कालः बस्तर रियासत में काकतीय वंष (14वीं सदी से 1948 तक) में राजा के अधीन पारंपरिक शासन चलता था, जिसमें स्थानीय मुखिया और सामंतों की भूमिका महत्वपूर्ण थी।

स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागिताः बस्तर के आदिवासियों ने औपनिवेशिक सत्ता का विरोध किया। 1910 का 'भुमकाल विद्रोह' गोंड नेता गुंडाधुर के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ हुआ, जिसने बस्तर की राजनीतिक चेतना को स्वर दिया।

आधुनिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्यः स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं ने यहाँ की राजनीति को नया आयाम दिया। बस्तर के आदिवासी समाज ने स्थानीय शासन में भागीदारी बढ़ाई।

समकालीन स्थितिः वर्तमान समय में बस्तर राजनीति में जनजातीय मुद्दे, नक्सलवाद की चुनौती, विकास एवं परंपरा के बीच संतुलन जैसे पहलू प्रमुख हैं।

विशेषताएँ

बस्तर की सामाजिक–राजनीतिक संरचना ''सामुदायिक सहयोग'', ''जनजातीय परंपराओं'' और ''लोकतांत्रिक चेतना'' पर आधारित रही है। यह क्षेत्र भारत की ''जनजातीय राजनीतिक–सांस्कृतिक धरोहर'' का जीवंत उदाहरण है।

- आदिवासी समाज की संरचना।
- परंपरागत स्वशासन की परंपराएँ।
- नक्सलवाद का प्रभाव।

2. पंचायती राज की संरचना और क्रियान्वयन

73वाँ संशोधन और बस्तर पर प्रभावः

1. भारत के संविधान में 1992 में 73वाँ संशोधन किया गया ''पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा'' दिया गया है। अनुच्छेद 243 से 243(O) तक प्रावधान किया गया है। पंचायतों का तीन–स्तरीय ढाँचा– ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत बनाया गया है।
2. अनुसूचित क्षेत्रों में 'अनुच्छेद 243ड' के अंतर्गत विशेष प्रावधान।' अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 1996 में ''पेसा अधिनियम (PESA)'' लागू हुआ, जो आदिवासी इलाकों के लिए और अधिक सशक्तिकरण का साधन बना।

बस्तर की सामाजिक–राजनीतिक संरचना पर प्रभाव

(क) सकारात्मक प्रभाव

1. **स्थानीय स्वशासन का अवसरः** बस्तर जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में पंचायतों ने ग्रामीणों को राजनीतिक भागीदारी का अधिकार दिया।
2. **महिला सशक्तिकरणः** आरक्षण के प्रावधान (33 प्रतिषत तथा छत्तीसगढ़ में 50 प्रतिषत) से महिलाएँ निर्णय लेने की प्रक्रिया में जुड़ीं।
3. **विकास योजनाओं का विकेंद्रीकरणः** शिक्षा, स्वास्थ्य, जल–प्रबंधन और आजीविका से जुड़ी योजनाओं पर स्थानीय स्तर पर निर्णय होने लगे।
4. **जनजातीय पहचान की सुरक्षाः** पेसा अधिनियम ने ग्राम सभा को भूमि, जल, वन और खनिज संसाधनों पर अधिकार प्रदान किया।
5. **राजनीतिक चेतना का विस्तारः** ग्रामीण व आदिवासी समुदायों में मतदान, नेतृत्व और प्रतिनिधित्व की समझ बढ़ी।

(ख) सीमाएँ और चुनौतियाँ

- **संघर्षग्रस्त क्षेत्रः** नक्सलवाद के कारण पंचायतों की स्वायत्तता प्रभावित हुई, कई बार पंचायत प्रतिनिधि हिंसा के शिकार हुए।
- **संसाधनों पर नियंत्रण का संकटः** पेसा के बावजूद जल–जंगल–जमीन पर खनन कंपनियों और राज्य के नियंत्रण ने ग्रामसभा की शक्ति सीमित की।
- **शिक्षा और जागरूकता की कमीः** कई क्षेत्रों में प्रतिनिधि अधिकारों और योजनाओं की जानकारी से वंचित रहे।
- **राजनीतिक हस्तक्षेपः** पंचायतों में अक्सर बाहरी राजनीतिक दलों का प्रभाव अधिक रहा, जिससे स्थानीय स्वशासन कमजोर हुआ।

3. समग्र मूल्यांकन

73वें संशोधन और पेसा अधिनियम ने बस्तर की राजनीति में ''आदिवासी स्वशासन, महिला नेतृत्व और लोकतांत्रिक भागीदारी'' को मजबूत किया परंतु ''सुरक्षा संकट, संसाधनों पर बाहरी दबाव, नक्सलवाद और प्रशासनिक हस्तक्षेप'' ने इसके वास्तविक लाभ को सीमित कर दिया फिर भी यह संशोधन बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक चेतना और राजनीतिक भागीदारी का ''आधार–स्तंभ'' बना है।

तीन–स्तरीय पंचायती व्यवस्था

ग्राम पंचायतः प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 10 वार्ड होगे तथा पंचायत की जनसंख्या 1000 से अधिक होगी। प्रत्येक वार्ड की संख्या 20 से अधिक नही होगी। प्रत्येक वार्ड से एक पंच का चुनाव किया जायेगा। ग्राम पंचायत के गठन से सम्बंधित प्रवाधान अधिनियम के अनुछेच्द 12 में किया गया है।

जनपद पंचायतः प्रत्येक जनपद पंचायत को जनसंख्या के आधार पर अधिकतम 25 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक क्षेत्र की जनसंख्या 5,000से अधिक तथा 50,000से कम होनी चाहिए।

जिला पंचायतः जिला पंचायत के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या 50,000से कम तथा 5,00,000 से अधिक न हो, जिले को न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 35 निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डो) में विभक्त किया जायेगा।

3. PESA अधिनियम और बस्तर

- अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विशेष अधिकार
- ग्राम सभा की शक्ति और व्यावहारिक स्थिति
- वन अधिकार अधिनियम और उसकी भूमिका

4. स्थानीय शासन की चुनौतियाँ

- प्रशासनिक लापरवाही।
- भ्रष्टाचार।
- राजनीतिक दखलअंदाजी।
- जागरूकता की कमी।
- सुरक्षा और नक्सली प्रभाव।

5. सकारात्मक पहल और संभावनाएँ

- जन जागरूकता अभियान।
- महिला और युवाओं की भागीदारी।
- IT और डिजिटल पंचायत की ओर बढ़ते कदम।
- क्षेत्रीय NGOs की भूमिका।

निष्कर्ष

बस्तर में लोकतंत्र की अवधारणा केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें गाँवों की जमीन तक फैली हैं। हालाँकि कई क्षेत्रों में यह प्रणाली अब भी चुनौतियों का सामना कर रही है, फिर भी स्थानीय शासन प्रणाली के माध्यम से आमजन विशेषकर आदिवासी समाज को निर्णायक भूमिका में लाने के प्रयास हो रहे हैं। पंचायती राज और PESA जैसे अधिनियम यदि ईमानदारी से लागू किए जाएँ, तो बस्तर लोकतंत्र की सच्ची प्रयोगशाला बन सकता है।

सिफारिशें

1. ग्राम सभाओं को सशक्त और नियमित किया जाए।
2. पंचायती प्रतिनिधियों को प्रशासनिक और कानूनी प्रशिक्षण मिले।
3. पारदर्शिता के लिए तकनीकी उपाय जैसे ई–गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाए।
4. महिलाओं एवं युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए।
5. PESA अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

संदर्भ सूची

1. बाजापेयी, अशोक (1997) *ग्राम विकास एवं पंचायती राज पंचायज, राज एड रूरल डेवलपमेंट,* संहिता प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. जैन, पुखराज एवं फड़िया, बी.एल. (2003) *भारतीय शासन एवं राजनीति,* साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।
3. कोठारी, रजनी (1970) *पॉलिटिक्स इन इंडया,* ओरियंट लांग मैन, नई दिल्ली।
4. कोठारी, रजनी (1970) *भारत में दलीय व्यवस्था और संसदीय लोकतंत्र,* अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।
5. माहेश्वरी, एस.आर. (1984) *भारत में स्थानीय शासन,* प्रकाशन लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा।
6. सुरौलिया, विनोद (1995) *पंचायती राज जनता की सहभागीता,* उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, उत्तर प्रदेश।
7. शर्मा, विद्यासागर (1963) *पंचायती राज भारत में पंचायती प्रणाली के महत्व, इतिहास और वर्तमान स्वरूप का विवेचन,* हिन्दुस्तान एकेडमी में, इलाहाबाद, उत्तरप्रदेश।
8. भारत सरकार (2025) पंचायती राज मंत्रालय की रिपोर्ट।
9. छत्तीसगढ़ राज्य पंचायती अधिनियम, (1993)।
10. PESA अधिनियम 1996।
11. बस्तर विकास प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट, (2018)।

––==00==––